निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा संचालित कक्षा 11–12 और दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा नवीन प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत की गयी है, जो निम्नवत है:–

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)
1	प्रदेश के अन्दर व बाहर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा लॉक करने से अवशेष रह गये शिक्षण संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि का अंकन करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना **(केवल अवशेष रह गयी संस्थाओ हेतु)**	05 मार्च, 2021 से 10 मार्च, 2021 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एंव एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र की संख्या आदि की प्रमाणिकता की आनलाइन सत्यापित करना।	10 मार्च, 2021 तक
3	छात्र/छात्राओ द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखो से छात्र/छात्रा का समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना एवं सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	04 मार्च, 2021 से 08 मार्च, 2021 तक
4	संदेहास्पद डाटा को कारणो सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियो के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियो को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना। **(आवेदन पत्र में की गई त्रुटियो को ठीक करके छात्र समस्त वांछित संलग्नको सहित शिक्षण संस्थान में विलम्बतम 16 मार्च तक जमा कर दे)**	13 मार्च, 2021 से 15 मार्च, 2021 तक
5	छात्र/छात्राओ द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखो से छात्र/छात्रा का समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	14 मार्च, 2021 से 17 मार्च 2021 तक

अतः समस्त सम्बन्धित को अनुस्मारित कराते हुये सूचित किया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत संशोधित समय–सारिणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये शासन की मंशा के अनुरूप समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(विकास)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक- 381 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 03 मार्च, 2021

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध सहित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित/संसूचित करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि छात्रहित में इसे समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि छात्रहित में उक्त विज्ञप्ति को जनपद सिद्धार्थनगर की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य, जनपद अवस्थित शिक्षण संस्थायें जनपद सिद्धार्थनगर।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय/कलेक्ट्रेट/विकास भवन आदि पर चस्पा हेतु।

03-03-21

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।